



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1447

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42362 वर्ष 2025

दानिश उर्फ नवाब

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: रिजवान उल्लाह सिद्दीकी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 257/2025, धारा 109(1) बी.एन.एस. और धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम, पुलिस स्टेशन चिलकाना, जिला सहारनपुर के तहत जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुति दी कि आवेदक को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है और वह उपरोक्त अपराध में किसी भी तरह से शामिल नहीं है। आवेदक का नाम उपरोक्त अपराध में सह-आरोपी के इकबालिया बयान में सामने आया है। उन्होंने प्रस्तुति दी कि वध का आरोप झूठा है और आवेदक के कब्जे से गाय के बच्चे, गाय का मांस या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक पशुओं की खरीद-बिक्री के व्यवसाय में शामिल नहीं है। पुलिस ने आवेदक के कब्जे से कथित पशुओं की झूठी बरामदगी दिखाई है। इस कथित घटना का कोई स्वतंत्र या सार्वजनिक गवाह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक 10.11.2025 से जेल में बंद है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान एजीए ने कड़ा विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है।

5. इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

6. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में आरोपित आवेदक, **दानिश उर्फ नवाब**, को उल्लेखित मुकदमा अपराध संख्या में शामिल होने पर, उसके द्वारा एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदारों को समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।